



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल- 462 003)

क्रमांक 196 /सम्पदा-25/2015


भोपाल, दिनांक 10/02/2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय— ई-पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों में एक से अधिक संव्यवहारों को एक दस्तावेज में सम्मिलित नहीं किए जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि सम्पदा एप्लीकेशन के अंतर्गत ई-पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों में एक से अधिक संव्यवहारों को एक दस्तावेज में सम्मिलित नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी दस्तावेज द्वारा एक पक्षकार अपनी एक सम्पत्ति विक्रय कर रहा है और दूसरी सम्पत्ति बंधक कर रहा है, तो इसके लिए उसे दो अलग-अलग दस्तावेज तैयार करना होंगे, एक विक्रय पत्र और दूसरा बंधक पत्र। उक्त संबंध में समस्त संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 197 /सम्पदा-25/2015

भोपाल, दिनांक 10/02/2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर - जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।